भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3674

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

सौभाग्य योजना की स्थिति

3674. श्रीमती जया बच्चनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 2018 तक सभी घरों को बिजली की आपूर्ति किये जाने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के निधीयन, लक्ष्य और तौर-तरीके से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बिजली रहित घरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की तिथि तक शहरी क्षेत्रों में भी समुचित विद्युत आपूर्ति नहीं है तो सरकार सभी ग्रामीण घरों में नियमित तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति की योजना किस प्रकार बना रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने सभी घरों का विद्युतीकरण करने के लिए भारत सरकार से 12,320 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 16,320 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब गैर-विद्युतीकृत घरों के अंतिम छोर की कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरो को मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

सौभाग्य के अंतर्गत, भारत सरकार परियोजना लागत की 60% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 85%) बजटीय सहायता उपलब्ध कराती है। 31 दिसंबर, 2018 तक सभी इच्छुक घरों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने पर 15% (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 5%) की अतिरिक्त बजटीय सहायता भी उपलब्ध है।

(ग) : राज्यों द्वारा सौभाग्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर 10.10.2017 की स्थिति अनुसार विद्युतीकृत किए जाने हेतु लगभग 4.05 करोड़ गैर-विद्युतीकृत घर थे। इसका राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है; सभी घरों को विद्युत उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों/विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) का होता है। भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24X7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए "सभी के लिए 24X7 विद्युत" दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य सहित अपनी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 27.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3674 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

गैर-विद्युतीकृत घरों (एचएच) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत घर
1	आंध्र प्रदेश	20,171
2	अरुणाचल प्रदेश	81,200
3	असम	2,415,770
4	बिहार	6,486,451
5	छत्तीसगढ़	641,631
6	गुजरात	12,781
7	हरियाणा	682,180
8	हिमाचल प्रदेश	13,641
9	जम्मू एवं कश्मीर	270,859
10	झारखण्ड	3,051,577
11	कर्नाटक	690,079
12	केरल	103
13	मध्य प्रदेश	4,503,109
14	महाराष्ट्र	380,756
15	मणिपुर	106,480
16	मेघालय	139,267
17	मिजोरम	10,956
18	नागालैण्ड	109,866
19	ओडिशा	3,256,991
20	पुडुचेरी	375
21	राजस्थान	2,125,818
22	सिक्किम	5,628
23	तमिलनाडु	2,125
24	तेलंगाना	388,659
25	त्रिपुरा	215,938
26	उत्तर प्रदेश	14,666,692
27	उत्तराखण्ड	185,081
28	पश्चिम बंगाल	133,808
कुल		**40,597,992**
